तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्याः 21/2022	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
18.01.2023	पत्रावली पेश हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी, सिरोही उपस्थित। गैरसायल मोहनलाल पुत्र किशनलाल, जाति– वागरी, निवासी– बडगांव, पुलिस थाना शिवगंज उपस्थित। गैरसायल की ओर से वकील श्री राजेश पुरोहित ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। गैरसायल ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वेच्छा से जुर्म/आरोप स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का आज ही निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रकरण में सहायक अभियोजन अधिकारी एवं गैरसायल को सुना गया। सहायक अभियोजन अधिकारी ने बहस के दौरान इस्तागासा में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए गैरसायल को छः माह की अवधि के लिये जिले से निष्कासित करने का अनुरोध किया। जबकि गैरसायल के वकील ने अनुरोध किया कि गैरसायल गरीब व मजदूर पेशा व्यक्ति है तथा वर्तमान में किसी भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नही है। अतः प्रस्तुत इस्तगासा खारिज किया जावे। प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली उपलब्ध साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट अनुसार गैरसायल मोहनलाल पुत्र किशनलाल, जाति– वागरी, निवासी– बडगावं, पुलिस थाना, शिवगंज के विरुद्ध पुलिस थाना, शिवगंज में राजस्थान सार्वजनिक ध्रुत (जुआं) अध्यादेश, 1949 की धारा 13 के तहत अपराध संख्या 127/13.7.2018, 147/15.8.2018 व 36/27.2.2019 को दर्ज हुए, जिनमें गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये जिनमें गैरसायल को संबंधित न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराते हुए जुर्माने से दण्डित किया है। न्यायालय पत्रावली पर अपराध संख्या 127/13.7.2018, 147/15.8.2018 व 36/27.2.2019 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की व आरोप पत्रों की प्रतियां न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि उक्त अपराध संख्या 127/13.7.2018, 147/15.8.2018 व 36/27.2.2019 में संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक क्रमशः 24.7.2018, 23.8.2018 व 12.3.2019 के अनुसार गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराया गया है। इससे स्पष्ट है कि कि गैरसायल राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(v) में वर्णित अपराध करने का दोषी है व गुण्ड़ा की श्रेणी में आता है। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि गैरसायल जुआं संबंधी अपराधों में लिप्त रहा है, लेकिन गैरसायल के विरुद्ध दिनांक 27.2.2019 के बाद कोई प्रकरण दर्ज नही हुआ है। अ[illegible]तियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, सिरो[illegible]तुत इस्तगासे को स्वीकार करते हुऐ गैरस[illegible]वागरी, निवासी– बडगांव, [illegible]राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण [illegible]र	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:33:01 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

..ारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या: 21/2022	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए

अधिनियम, 1975 की धारा 3 के परिप्रेक्ष्य में 15 दिन की अवधि के लिये पुलिस थाना क्षेत्र, शिवगंज से निष्कासित किया जाता है। इस निष्कासन अवधि में गैरसायल बिना पूर्व अनुमति के पुलिस थाना क्षेत्र, सिरोही की सीमा में प्रवेश नही करेगा, गैरसायल इस निष्कासन अवधि में एक सामान्य व अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेगा तथा किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य नही करेगा। इसके अतिरिक्त, गैरसायल इस अवधि में किसी भी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पार्क आदि के आस–पास अपनी उपस्थित नही देगा। गैरसायल उक्त निर्देश/निबन्धन एवं शर्तो का सम्यक पालन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 7(1) के तहत राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) का स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत करेगा। निर्णय/आदेश सुनाया गया। माफिक आदेश गैरसायल ने स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति थानाधिकारी, पुलिस थाना, शिवगंज को प्रेषित की जावे।

(के.आर.खौड)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:33:01 IST
Reason: SelfAttested